संख्या-6/2016/13/74-2016-24(ब)/2014

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग लखनऊ दिनांक 03 मार्च, 2016

विषय: अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-13-नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेशम उत्पादन द्वारा रोजगार सृजन-02-मजदूरी मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-627/सेरी/0नियो0/वार्षिक योजना/2015-16 दिनांक 04 जनवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-13-नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेशम उत्पादन द्वारा रोजगार सृजन-02-मजदूरी मद में रू 0250 हजार (रूपया दो लाख पचास हजार मात्र) के पुनर्विनियोग किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अधीन किया जाएगा एवं व्यय निर्धारित मानक मद में किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार शासन/सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। योजनान्तर्गत मूल बजट प्रावधान की सीमा में धनराशि को समायोजित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 16-2015 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-13-नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेशम उत्पादन द्वारा रोजगार सृजन के मानक मद-15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद तथा-29 अनुरक्षण की सम्भावित बचतों से किया जाएगा तथा उसी अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक--2851ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-13-नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेशम उत्पादन द्वारा रोजगार सृजन-02-मजदूरी के नामे डाला जाएगा। पुनर्विनियोग का विवरण निर्धारित प्रारूप-बी0एम0-9 (भाग-1) पर संलग्न है।

संलग्नक::यथोक्त।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-6/2016/13(1)/74-2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बी0एम0-09 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन ,लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 (बी0एम0-09 की तीन प्रतियां सहित)।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 (बी0एम0-09 की तीन प्रतियां सहित)।
(6) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।
(7) कम्प्यूटर प्रोग्रामर ,रेशम निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।